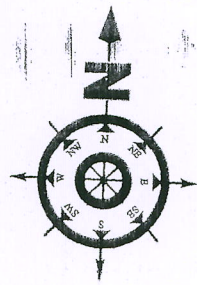


CHANDRALOK RESIDENCY II

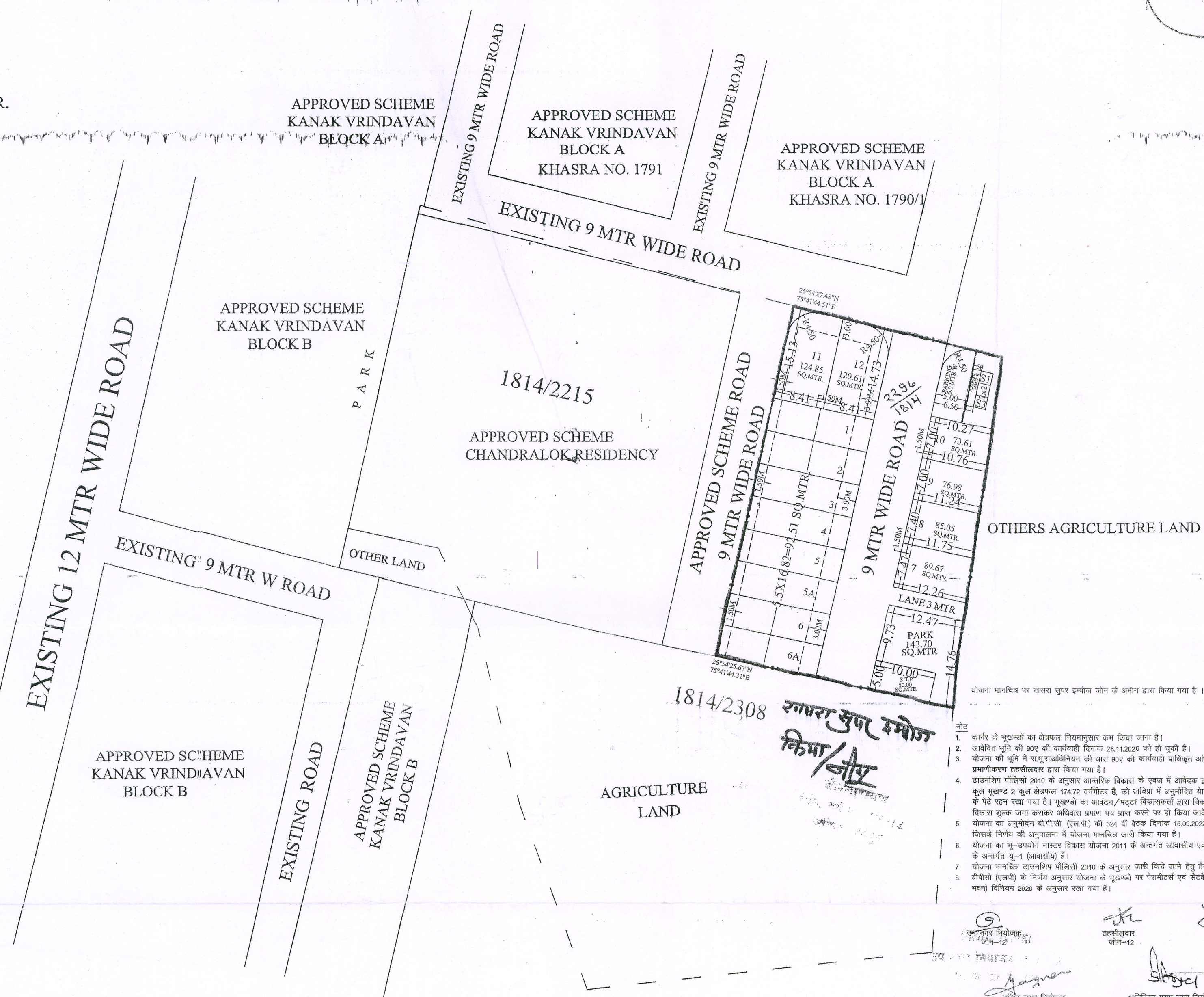
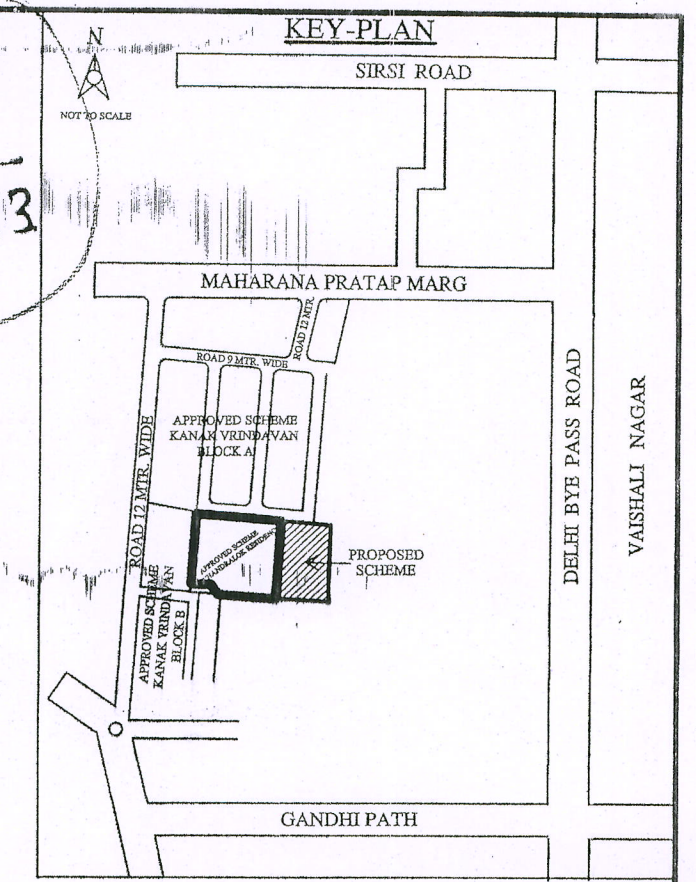
KH.NO.1814/2308

SCHEME AT VILLAGE- SIRSI, TEH.JAIPUR, SECTOR-56 JAIPUR



SCALE 1CM= 5 MTR.

1246
B
19-4-23



KH.NO.		AREA(HEC.)	
1814/2308		0.4679	
SCHEME USE AREA		0.2200	
REMAIN AREA		0.2479	
मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग			
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-			
1	आवासीय --	14	
2	पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड --		
3	सुदरा व्यवसायिक भूखण्ड --	03	
क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (SQ.MTR.)	प्रतिशत
1	आवासीय	1308.00	59.45%
2	फुटकर व्यवसायिक	12.00	0.55%
3	पार्क	143.70	6.53%
4	एस.टी.पी./S.W.D	50.00	2.27%
5	सड़क	686.30	31.20%
कुल योजना		2200.00	100.00%
योजना की नीचे जो, सकेत एवं मास्टर विकास योजना 2011 की सड़को भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जोड़ कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।			
क्षेत्र / रजिस्ट्रेशन नं०			
नगर नियोजक / वास्तुविद् / अभियंता का नाम			
योजना की भूमि की राशुआ अधिनियम की धारा 90 बी की कार्यवाही एवं नीचे के पर 3 ए का प्रमाणिकरण भेदे द्वारा किया गया।			
योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।			
नाम		नाम	
तहसीलदार		उपायुक्त जोन	
बी0पी0सी / जी0 एल0 सी0 की बैठक संख्या			
दिनांक			
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।			
NAME OF SOCIETY:- NUI KHATEDAR			
NAME OF SCHEME :- CHANDRALOK RESIDENCY II			
ZONE NO.		SECTOR NO.- 56	
SCALE 1CM= 5 MTR.		DRG. NO.	
A.T.P. ZONE		D.T.P.	S.T.P.
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR			

योजना मानचित्र पर खलरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
जोन-12

नोट

- कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 26.11.2020 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में राशुआअधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नीचे के पर 3 ए प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- राजस्थान पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 7 व 8 कुल भूखण्ड 2 कुल क्षेत्रफल 174.72 वर्गमीटर है, जो जमिनी में अनुमोदित योजना के 12.60 प्रतिशत क्षेत्रफल के भेदे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवेदन/परदा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करके अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 324 वी बैठक दिनांक 15.09.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत आवासीय एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत सु-1 (आवासीय) है।
- योजना मानचित्र राजस्थान पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर परमोडर्स एवं सैटबैक्स जवित्रा (जयपुर रीजन मबन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)